



● बीआरकेजीबी टफ ऋण योजना

1	उद्देश्य	(i) Technology Upgradation Funds Scheme (TUFS) के अन्तर्गत टैक्सटाइल मैन्यूफेक्चरिंग / प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि, भवन के क्रय/निर्माण, प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु आवधिक ऋण उपलब्ध करवाना। (ii) कार्यशील पूँजी (निधी व गैर निधीगत आधारित दोनों) उपलब्ध करवाना।
2.	पात्रता	1. नयी प्रस्तावित/वर्तमान स्थापित इकाईयां (अन्य वित्तीय संस्थाओं से टेकओवर करने सहित), जो सिन्थेटिक फेब्रिक्स व यार्न के निर्माण, एसएमई की परिभाषा के अनुसार निवेश सीमा वाले प्रोसेस हाउस आदि टैक्सटाइल गतिविधियों में संलग्न (कार्यरत) हैं। 2. प्रोपराइटरिशिप/पार्टनरशिप फर्म, प्रा. लि. कम्पनियां, लि. कम्पनियां जो उक्तानुसार टैक्सटाइल गतिविधियां संचालित कर रही हैं। करना चाहती है। 3. अविभक्त हिन्दू परिवार (HUF) योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगे।
3	सुविधा का प्रकार	आवधिक ऋण/मांग ऋण, नगद साख, गैर निधीगत अग्रिम सुविधा जैसे बैंक गारंटी।
4	ऋण सीमा का निर्धारण	परियोजना लागत के अनुसार, एस एम ई के अन्तर्गत अनुमत निवेश सीमा न्यूनतम ₹25.00 लाख अधिकतम ₹5.00 करोड़।
5	मार्जिन	1) आवधिक ऋण a. फैक्ट्री भूमि व भवन — 30% b. नयी प्लाण्ट व मशीनरी — 25% c. पुरानी प्लाण्ट व मशीनरी (टफ योजना के अनुसार) — 40% d. पुरानी प्लाण्ट व मशीनरी (टफ योजना के बाहर) — 50% 2) केश क्रेडिट (नकद उधार) सुविधा a. स्टाक के लिए — 25% b. बुक डेब्ट्स के लिए — 50%
6	ब्याज दर	बैंक द्वारा अकृषि ऋणों के लिए समय समय पर निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार प्रभारणीय।
7	अग्रिम सुविधा की अवधि	(i) आवधिक ऋण—12 माह की प्रारम्भिक छूट की अवधि सहित अधिकतम 9 वर्ष (ii) नकद उधार — मासिक किश्तों में ब्याज (वार्षिक समीक्षाधीन)
8	पुनर्भुगतान	(i) आवधिक ऋण — प्रारम्भिक छूट अवधि के पश्चात् से प्रारम्भ यथोचित मासिक/त्रैमासिक किश्तें + ब्याज (ii) प्रारम्भिक छूट की अवधि के दौरान ब्याज का नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
9	प्रोसेसिंग प्रभार	समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रभारणीय
10	प्रतिभूति	(i) आवधिक ऋण — समस्त स्थायी सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार एवं चालू सम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार (ii) नकद उधार — समस्त स्थायी सम्पत्तियों पर प्रथम/द्वितीय (जैसा भी लागू हो) प्रभार तथा चालू सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार। (iii) स्वीकृत सीमा के अनुसार न्यूनतम Assets (except current assets) coverage ratio 1.25 रखने के आवश्यक अतिरिक्त कोलेटरल प्रतिभूति (सम्पत्तियों का Valuation बैंक द्वारा निर्देशित प्रक्रिया एवं मानदण्डों के अनुसार होना चाहिये।)

